

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. अपील संख्या-2346 / 12 / बीकानेर. | 10. अपील संख्या-2355 / 12 / बीकानेर. |
| 2. अपील संख्या-2347 / 12 / बीकानेर. | 11. अपील संख्या-2356 / 12 / बीकानेर. |
| 3. अपील संख्या-2348 / 12 / बीकानेर. | 12. अपील संख्या-2357 / 12 / बीकानेर. |
| 4. अपील संख्या-2349 / 12 / बीकानेर. | 13. अपील संख्या-2358 / 12 / बीकानेर. |
| 5. अपील संख्या-2350 / 12 / बीकानेर. | 14. अपील संख्या-2359 / 12 / बीकानेर. |
| 6. अपील संख्या-2351 / 12 / बीकानेर. | 15. अपील संख्या-2360 / 12 / बीकानेर. |
| 7. अपील संख्या-2352 / 12 / बीकानेर. | 16. अपील संख्या-2361 / 12 / बीकानेर. |
| 8. अपील संख्या-2353 / 12 / बीकानेर. | 17. अपील संख्या-2362 / 12 / बीकानेर. |
| 9. अपील संख्या-2354 / 12 / बीकानेर. | 18. अपील संख्या-2363 / 12 / बीकानेर. |

मैसर्स महाराजा केबल, म्यूजियम, वृत्त-बीकानेर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत्त-बी', बीकानेर.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य.

उपस्थित : :

श्री वी. के. पारीक, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री अनिल पोखरणा,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 30/6/2014

निर्णय

उपरोक्त सभी 18 अपीलें अपीलार्थी व्यवहारी मैसर्स महाराजा केबल, बीकानेर द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 269 से 286 / मनोरंजन कर/बीकानेर/2012-13 में पारित किये गये संयुक्तादेश दिनांक 18.10.2012 के विरुद्ध राजस्थान मनोरंजन एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 (जिसे आगे 'मनोरंजन कर अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 13बी के तहत प्रस्तुत की गई हैं।

सभी अपीलों में विवादित बिन्दु एवं पक्षकार समान होने के कारण इनका निस्तारण एक निर्णय से ही किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।


प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी बीकानेर शहर में केबल चैनल्स से सिग्नल ग्रहण कर फ्रेंचार्डजीज को सप्लाय करता है। सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर वृत्त-बी', बीकानेर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी को आलौच्य अवधियों माह अप्रैल, 2006 से सितम्बर 2007 (कुल 18 माह) के कर निर्धारण हेतु दिनांक 3.10.2007 के लिये नोटिस जारी किये गये, जिनकी पालना में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ना तो प्रपत्र एस-5 प्रस्तुत किये गये एवं ना ही देय कर का

लगातार.....2

भुगतान किया गया। इसके पश्चात कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पुनः दिनांक 18.10.2007 के लिये नोटिस जारी किये गये। उक्त नोटिस की पालना में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रपत्र एस-5 प्रस्तुत नहीं करते हुए मनोरंजन कर के दायित्व से इंकार किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी के उक्त जवाब को अस्वीकार करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पृथक-पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 18.10.2007 को पारित करते हुए मनोरंजन कर अधिनियम की धारा 4ए, 3ए, 3(3एए) एवं 'केबल ऑपरेटर', 'सब-केबल ऑपरेटर', 'केबल टेलीविजन नेटवर्क' व 'सब्सक्राइबर' की परिभाषाओं को उद्धरित करते हुए धारा 5बी, 4ए व 9ए सपठित राजस्थान मनोरंजन एवं विभापन कर नियम 1957 के नियम 18ए के तहत मनोरंजन कर की देयता अपीलार्थी व्यवहारी पर अवधारित की गई एवं बीकानेर शहर की आबादी 6 लाख अनुमानित करते हुए कुल केबल कनेक्शन की सीमा 25,000 अवधारित की गई एवं रुपये 20/- प्रत्येक उपभोक्ता मनोरंजन कर आरोपित करते हुए रुपये 5,00,000/- प्रतिमाह मनोरंजन कर एवं तदनुसार विलम्ब के लिये ब्याज का आरोपण निम्न सारणी अनुसार किया गया :-

| क्र. सं. | अपील संख्या | कर निर्धारण अवधि | मनोरंजन कर | ब्याज | योग |
|----------|-------------|------------------|------------|----------|------------|
| 1. | 2346/12 | अप्रैल-2006 | 5,00,000 | 1,66,170 | 6,66,170/- |
| 2. | 2347/12 | मई-2006 | 5,00,000 | 1,56,170 | 6,56,170/- |
| 3. | 2348/12 | जून-2006 | 5,00,000 | 1,46,170 | 6,46,170/- |
| 4. | 2349/12 | जुलाई-2006 | 5,00,000 | 1,36,170 | 6,36,170/- |
| 5. | 2350/12 | अगस्त-2006 | 5,00,000 | 1,26,170 | 6,26,170/- |
| 6. | 2351/12 | सितम्बर-2006 | 5,00,000 | 1,16,170 | 6,16,170/- |
| 7. | 2352/12 | अक्टूबर-2006 | 5,00,000 | 1,06,170 | 6,06,170/- |
| 8. | 2353/12 | नवम्बर-2006 | 5,00,000 | 96,170 | 5,96,170/- |
| 9. | 2354/12 | दिसम्बर-2006 | 5,00,000 | 86,170 | 5,86,170/- |
| 10. | 2355/12 | जनवरी-2007 | 5,00,000 | 76,170 | 5,76,170/- |
| 11. | 2356/12 | फरवरी-2007 | 5,00,000 | 66,170 | 5,66,170/- |
| 12. | 2357/12 | मार्च-2007 | 5,00,000 | 56,170 | 5,56,170/- |
| 13. | 2358/12 | अप्रैल-2007 | 5,00,000 | 46,170 | 5,46,170/- |
| 14. | 2359/12 | मई-2007 | 5,00,000 | 36,170 | 5,36,170/- |
| 15. | 2360/12 | जून-2007 | 5,00,000 | 26,170 | 5,26,170/- |
| 16. | 2361/12 | जुलाई-2007 | 5,00,000 | 17,750 | 5,17,750/- |
| 17. | 2362/12 | अगस्त-2007 | 5,00,000 | 10,250 | 5,10,750/- |
| 18. | 2363/12 | सितम्बर-2007 | 5,00,000 | 2,750 | 5,02,750/- |

अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपीलें, अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन संयुक्तादेश दिनांक 18.10.2012 से अस्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ये द्वितीय अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

 लगातार.....3

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि मनोरंजन कर अधिनियम की धारा 4A व 4 AA के तहत अपीलार्थी का मनोरंजन कर भुगतान करने का दायित्व नहीं है। इस संबंध में अग्रिम तर्क दिया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल बनाम पूर्वी कम्युनिकेशन प्रा. लि. (2005) 140 एस.टी.सी. 154 में प्रतिपादित सिद्धान्त, हस्तगत विवादित प्रकरणों में लागू किये जाने योग्य नहीं है क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष, जो प्रावधान, निर्वचन हेतु थे, वैसे समान प्रावधान की धारा 4 A व 4 AA के अन्तर्गत नहीं है। इसी प्रकार, माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त इण्डसइण्ड मीडिया एण्ड कम्युनिकेशन लि. व अन्य 31 टेक्स अपडेट 35 में प्रतिपादित सिद्धान्त भी हस्तगत प्रकरणों में, अपीलार्थी (MSO) (मल्टी सिस्टम ऑपरेटर) पर मनोरंजन कर अधिनियम के तहत भिन्न प्रावधानों के अनुसार अंकित शब्दावली के प्रकाश में लागू किये जाने योग्य नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी पर किसी प्रकार का कर दायित्व होने के अभाव में, कायम की गयी मांग राशियां अविधिक एवं अनुचित हैं। लिहाजा, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत सभी अपीलें स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अग्रिम कथन किया कि कर निर्धारण दिनांक 18.10.2007 को कर निर्धारण अधिकारी को एकतरफा कर निर्धारण आदेश पारित किये जाने की शक्तियां प्राप्त नहीं थी। मनोरंजन कर अधिनियम की धारा 5बी को संशोधन दिनांक 25.2.2008 द्वारा दिनांक 26.3.99 से प्रभावी किया गया है। इसके अलावा मनोरंजन की परिभाषा में ग्राहक को केबल सेवा प्रदान करना व डायरेक्ट टू होम प्रसारण सेवा प्रदान करना दिनांक 25.2.2008 से अन्तःस्थापित किया गया है। मनोरंजन कर अधिनियम की धारा 4ए व 4एए क्रमशः दिनांक 26.3.99 व 25.2.2008 से अन्तःस्थापित की गई है। इसी प्रकार मनोरंजन कर अधिनियम की धारा 5 को भी दिनांक 26.3.99 से प्रभावी संशोधन किया गया तथा धारा 5बी के अन्तर्गत भी धारा 4ए व 4एए को क्रमशः 26.3.99 व 25.2.2008 से प्रभावी प्रतिस्थापित की गई है। यही प्रभाव धारा 9ए के अन्तर्गत भी जोड़े गये हैं।

उनका कथन है कि कर निर्धारण दिनांक को सक्षम प्रावधानों के अभाव में कर निर्धारण विधिसम्मत नहीं थे, फिर भी अपीलार्थी ने उन्हें प्रभावी मानते हुए कर निर्धारण आदेशों को विधिसम्मत माना है। तर्क के समर्थन में समन्वय पीठ के निर्णय अपील संख्या 27 से 38/2008/कोटा वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त-बी, कोटा बनाम मैसर्स रेडियेट सेटलाइट इण्डिया लिमिटेड निर्णय दिनांक 01.03.2012 को उद्धरित किया है। साथ ही समन्वय पीठ के

लगातार.....4

अपील संख्या 121 से 130/2009/जयपुर निर्णय दिनांक 29.10.2009 को भी उद्धरित किया है, जिसमें संशोधन से पूर्व एकतरफा कर निर्धारण व अन्य सम्बन्धित सक्षम प्रावधानों के अभाव में करदेयता को विधिसम्मत अवधारित नहीं किया गया है। इसलिए संशोधित प्रावधानों के तहत कर निर्धारण हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जा सकते हैं।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अग्रिम कथन किया कि मनोरंजन कर अधिनियम के तहत केबल द्वारा सेवा प्रदान करने सम्बन्धी सक्षम प्रावधान विधेयक 2011 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रतिस्थापित किये गये हैं, इसलिए इस संशोधन तिथि से पूर्व आरोपित मनोरंजन कर पर ब्याज की देयता नहीं रहती है। तर्क के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2002) 12 सेल्स टैक्स टूडे 82 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी श्रीगंगानगर (प्रतिकरापवंचन) बनाम मैसर्स पेढीवाल आईस जिनिंग एण्ड प्रेसिंग फैक्ट्री को उद्धरित किया है, जिसके अनुसार राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1954 की धारा 5(3) व नियम 29(2) को असंवैधानिक घोषित किये जाने तथा बाद में दिनांक 1.4.87 से भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने पर ब्याज संशोधन के पश्चात ही आरोपणीय माना है। इसी सन्दर्भ में माननीय राजस्थान कराधान अधिकरण की खण्डपीठ का एस.टी.आर. नं० 291/96 वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स विनोद कुमार पियूष कुमार में पारित निर्णय दिनांक 20.8.1997 को भी उद्धरित किया है, जिसमें राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1954 की धारा 5ए को दिनांक 1.4.1990 के संशोधन द्वारा भूतलक्षी प्रभाव दिनांक 1.4.1960 से लागू करने की स्थिति में ब्याज की देयता 1.4.1990 के पश्चात निर्णीत की गई है।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने यह भी कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग की सीकर से प्राप्त सूचना को ग्राहकों की संख्या को अवधारित किया है। उत्पाद विभाग की सूचना सेवा कर के लिये प्राप्त की गई थी, जिसका बीकानेर शहर के केबल सेवा के ग्राहकों से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है। फिर भी अन्य विभाग की सूचना को कर निर्धारण का आधार मानकर विधिक त्रुटि की है। इस आधार पर भी कर निर्धारण अधिकारी का आदेश अविधिक है, जिसकी अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि भी अविधिक है।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी, जो कि एक मल्टी सिस्टम ऑपरेटर (MSO) है तथा उसके द्वारा केबल सर्विस प्रदान करने हेतु केबल ऑपरेटर्स (CO) को 'सिग्नल्स' उपलब्ध कराये जाते हैं तथा केबल ऑपरेटर्स अन्ततः इन प्राप्त 'सिग्नल्स' को उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं। इसलिए मनोरंजन कर भुगतान का दायित्व प्रथम दृष्ट्या अपीलार्थी का ही है। अग्रिम कथन किया कि राज्य विधायिका द्वारा

संवैधानिक शक्तियों के अधीन ही मनोरंजन कर अधिनियम में धारा 4AA दिनांक 26.03.99 से प्रभावी जोड़ी गयी है, जो मनोरंजन कर अधिनियम का ही एक भाग है एवं उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत ही राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर करारोपण सम्बन्धी अधिसूचनायें जारी की गयी है। अतः इस सम्बन्ध में मनोरंजन कर संदेय करने का दायित्व, केबल टेलीविजन नेटवर्क के स्वत्वधारी (MSO) का ही है तथा व्यवहारी एम.एस.ओ ही केबल टेलीविजन नेटवर्क का स्वत्वधारी है।


अग्रिम कथन किया कि कर निर्धारण आदेशों को विधिक प्रावधानों के तहत एवं जारी अधिसूचना दिनांक 26.03.1999 के आलोक में, कर दायित्व कायम कर, पारित किया गया है। इस संबंध में पुरजोर तर्क दिया गया कि केबल टेलीविजन नेटवर्क का स्वत्वधारी अपीलार्थी ही कर दायित्वाधीन है, जिसके द्वारा केबल सेवा जरिये सेटलाईट के प्राप्त कार्यक्रमों के इलैक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को केबल ऑपरेटर्स को रि-ट्रान्समिट किया जाता है। केबल ऑपरेटर्स के पास स्वतंत्र रूप से केबल टेलीविजन नेटवर्क नहीं होता। अभिदाताओं को सिग्नल्स उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी समस्त प्रणाली 'केबल टेलीविजन नेटवर्क' के संचालन के लिये उत्तरदायी स्वत्वधारी व्यवहारी एम.एस.ओ. के ही होने के कारण, वही मनोरंजन कर संदाय के दायित्वाधीन है। अतः मनोरंजन कर अधिनियम की धारा 4AA के अन्तर्गत केबल सेवा पर उदग्रहणीय मनोरंजन पर भी कर अदायगी का दायित्व व्यवहारी एम.एस.ओ. का ही बनता है। इस संबंध में विद्वान उप राजकीय अभिभाषक का यह भी कथन है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त मैसर्स पूर्वी कम्युनिकेशन, (2005) 140 एस.टी.सी. 154 में भी यही मत/सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। इस प्रकार, उक्त विधिक एवं तथ्यात्मक स्थिति के आलोक में, 'मनोरंजन कर' के संदाय का दायित्व व्यवहारी एम.एस.ओ. स्वयं का ही है। विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अग्रिम तर्क दिया कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2011 के द्वारा मनोरंजन कर अधिनियम में व्यापक संशोधन किये जाकर इन्हें वित्त विधेयक, 2011 के क्लॉज 20 के अनुसार इस संबंध में किये गये संशोधनों से पूर्व पारित निर्णयों/डिक्रीयों/आदेशों को संशोधनों के अधीन ही पारित हुआ समझे जाने की विधि प्रतिस्थापित कर दी गयी है। अतः उक्त विधिक स्थिति के आलोक में, अपीलीय आदेश में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। इसके अतिरिक्त तर्क दिया कि समान बिन्दुओं पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने हालिया न्यायिक दृष्टान्त मैसर्स इण्डसइण्ड मीडिया एण्ड कम्युनिकेशन लि. व अन्य बनाम मामलातदार व अन्य 31 टैक्स अपडेट 35 में समस्त विधिक स्थिति पर विचार कर, माननीय उच्चतम न्यायालय ने मल्टीसिस्टम ऑपरेटर्स (एम.एस.ओ.) पर भी

मनोरंजन कर दायित्व होना अभिनिर्धारित कर दिया है। विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपने उक्त तर्कों के समर्थन में माननीय कर बोर्ड की समन्वय पीठ (एकलपीठ) द्वारा अपील संख्या 508 से 519/2011/उदयपुर, निर्णय दिनांक 19.10.2011 व अपील संख्या 471 से 480/2011/जोधपुर में पारित निर्णय दिनांक 19.12.2011 का हवाला देते हुए अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलें अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावलियों एवं विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरणों में, अपीलार्थी द्वारा केबल ऑपरेटरों के माध्यम से सिग्नल कन्ट्रोल व वितरण का कार्य किये जाने के कारण, अपीलार्थी (एम.एस.ओ.) केबल टेलीविजन नेटवर्क का स्वत्वधारी होने से आलौच्य अवधियों के लिये मनोरंजन कर चुकाने के दायित्वाधीन मानते हुये निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध मनोरंजन कर व ब्याज व शास्ति की विवादित मांग सृजित करने के पृथक-पृथक निर्धारण आदेश, दिनांक 18.10.2007 को पारित किये गये हैं। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि वित्त अधिनियम 2011, के जरिये राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 में व्यापक संशोधन किये जाकर, इसके क्लॉज 20 के अनुसार इस संबंध में कतिपय प्रावधानों को भूतलक्षी प्रभाव दिया गया है, लेकिन कर निर्धारण आदेश पारित किये जाने की तिथि को संशोधित प्रावधानों के अभाव में कर निर्धारण आदेशों के तहत आरोपित कर व ब्याज को विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता है। इस सम्बन्ध में समन्वयपीठ का वाणिज्यिक कर अधिकारी कोटा बनाम रेडियेंट सेटेलाईट इण्डिया प्रा० लि० में पारित निर्णय दिनांक 01.3.2012 लागू होता है। मनोरंजन कर अधिनियम के तहत केबल सेवा पर मनोरंजन कर की देयता के लिये सक्षम प्रावधानों के मददेनजर पुनः कर निर्धारण हेतु सभी प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाते हैं तथा कर निर्धारण अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वह उक्त उद्धरित निर्णयों के आलोक में तथा ग्राहकों की संख्या पर पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर कर निर्धारण नये सिरे से पारित करें।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी की अपीलें स्वीकार की जाकर अपीलीय आदेश दिनांक 18.10.2012 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण उपरोक्त विवेचनानुसार कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाते हैं।

निर्णय सुनाया गया।


(जे. आर. लोहिया)
सदस्य
30/6/14